क्रम संख्या–01 पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 03 जनवरी, 2020 ई0

पौष 13, 1941 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 04/XXXVI (3)/2020/73(1)/2019

देहरादून, 03 जनवरी, 2020

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993} (संशोधन) विधेयक, 2019'** पर दिनांक 02 जनवरी, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 01 वर्ष, 2020** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993} (संशोधित) अधिनियम, 2019

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2020)

उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993} (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1 (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993} (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 2 का संशोधन 2 उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993}(अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) की धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (दो) को प्रतिस्थापित करते हुए, उपखण्ड (तीन) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:-

"(दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित), और
(तीन) पुत्री के पुत्र/पुत्री से है।"

निरसन और व्यावृत्ति 3 (1) उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993} (संशोधन) अध्यादेश, 2019 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,

प्रेम सिंह खिमाल,
सचिव।

उद्देश्य और कारणों का कथन

उत्तराखण्ड की लोक सेवाओं में पूर्व सैनिकों एवं विकलांगजनों के लिए क्षैतिज आरक्षण का समुचित लाभ उत्तराखण्ड राज्य को प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिएं आरक्षण) अधिनियम, 1993 उत्तराखण्ड राज्य में भी लागू है। उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) में शब्द **"आश्रित"** को परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित के अन्तर्गत पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) यथा पौत्र (पुत्र का पुत्र) और अविवाहित पौत्री (पुत्र की पुत्री) सम्मिलित है।

2— विभिन्न न्यायिक निर्णयों में न्यायालयों द्वारा **"आश्रित"** शब्द को परिभाषित किया गया है तथा लिंग आधारित विभेदीकरण में सुधार करना आवश्यक व समीचीन है। तत्क्रम में पुत्री के पुत्र/पुत्री और पुत्र के पुत्र/पुत्री को **"आश्रित"** में सम्मिलित किया जाना अपरिहार्य है।

3— उक्त के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993} (संशोधन) अध्यादेश, 2019 प्रख्यापित किया गया था।

4— प्रस्तावित विधेयक उक्त अध्यादेश का प्रतिस्थानी विधेयक है तथा उक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

त्रिवेन्द्र सिंह रावत
मुख्यमंत्री।